



Neutral Citation No. - 2026:AHC:24104

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 469 वर्ष 2026

छत्र पाल सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 16 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : बृजेश शुक्ला, विभव पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. वर्तमान रिट याचिका उप निदेशक चकबंदी द्वारा पारित प्रेषण आदेश दिनांक 10.02.2025 के अनुपालन में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2026 को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी न्यायालय जाने के वैकल्पिक और प्रभावशाली उपचार की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ति उठाई है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों का खंडन नहीं किया है।
4. अतः, वर्तमान रिट याचिका अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण न्यायालय जाने के वैकल्पिक और प्रभावशाली उपचार की उपलब्धता के आधार पर खारिज की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

4 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"